राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 17/2021 दायर दिनांकः–01.03.2021

**पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.**

1. हरलाल पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी चकपींगलोद, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

––वादी

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

–– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

## निर्णय

दिनांक–26.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चकपींगलोद तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार नवीन खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 8 रकबा 0.7119 है0, नवीन खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 388/124 रकबा 0.6472 है0, नवीन खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.5937 है0, नवीन खाता संख्या 97 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2912 है0 एवं नवीन खाता संख्या 98 के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.8009 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.6310 है0, नवीन खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0566 है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0970 है0 है जिसमें वादी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वादी का नाम सहवन से श्रीलाल पुत्र प्रताप का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम हरलाल पुत्र प्रताप है तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सहवन से गलत नाम श्रीलाल पुत्र प्रताप का अंकन हो गया है जिसको दुरुस्त करवाकर वादी का सही नाम हरलाल पुत्र प्रताप का इन्द्राज करवाकर इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। वादी के चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम हरलाल पुत्र प्रताप दर्ज है। वादी के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न, अलग–अलग नाम श्रीलाल व हरलाल हो गये है, जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम हरलाल पुत्र प्रताप है। वादी की कृषि भूमि में वादी का गलत नाम श्रीलाल अंकित होने से एवं वादी के अन्य पहचान के दस्तावेजों में वादी का नाम हरलाल अंकित होने से वादी को अपनी आराजी के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त दोनों नामों का वादी एक ही व्यक्ति है। वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से श्रीलाल पुत्र प्रताप गलत अंकित हो गया है जिसको दुरुस्त करवाकर वादी का सही नाम हरलाल पुत्र प्रताप का इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। उक्त के इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के सहवन से दर्ज नाम श्रीलाल पुत्र प्रताप के नाम को शुद्धिकरण करवाकर वादी का सही एवं वास्तविक नाम हरलाल पुत्र प्रताप के नाम से इन्द्राज दुरुस्ती [illegible] प्रस्तुत किया गया है। वादी ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी [illegible] कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का पींगलोद से जमाबंदीकी नकल दिनांक–05.01.2021 को प्राप्त की [illegible] वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी में वादी का [illegible] त्रुटि से श्री[illegible]पुत्र प्रताप गलत अंकित किया हुआ है, जबकि वादी का [illegible] हरलाल पुत्र प्रता[illegible] जो उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे वादी का नाम हरलाल पुत्र प्रताप अंकन होने से अपना गलत नाम श्रीलाल पुत्र प्रताप को दुरुस्ती करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम चक पींगलोद की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 8 रकबा 0.7119 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार, खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 388/124 रकबा 0.6472 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम, खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.5937 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप 1/9 जाति जाट सा0 देह खातेदार, खाता संख्या 97 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2912 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप 1/12 जाति जाट सा0 देह खातेदार एवं खाता संख्या 98 के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.8009 है0 व खसरा नम्बर 40 रकबा 0.6310 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार एवं खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0566 है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0970 है0 में श्रीलाल पुत्र प्रताप 1/12 जाति जाट सा0 देह खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत पींगलोद का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनके आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चक पींगलोद के खसरा नम्बर 8 रकबा 0.7119 है0, खसरा नम्बर 388/124 रकबा 0.6472 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.5937 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2912 है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.8009 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.6310 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0566 है0, एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0970 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम श्रीलाल पुत्र प्रताप के स्थान पर हरलाल पुत्र प्रताप दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:31 IST
Reason: SelfAttested